

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

कमांक:-स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 4037/2024

दिनांक 29.11.2024


इस कार्यालय के पूर्व प्रसारित आदेश क्रमांक स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश/2839/2024 दिनांक 27.08.2024 की निरन्तरता में श्रीमती अनिशा शर्मा (RJ01143), तत्कालीन सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, देवली (टोंक) हाल अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कम-02, बहरोड़ (अलवर) को निम्नलिखित अवकाश स्वीकृत किये जाते हैं:-

1. दिनांक 03.09.2024 से 06.09.2024 तक 04 दिनों का परावर्तित अवकाश।
2. दिनांक 07.09.2024 से 08.09.2024 तक 02 दिनों का उपार्जित अवकाश।

श्रीमती शर्मा की अनुपस्थिति में अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, देवली (टोंक) ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, देवली (टोंक) के पद पर ही की गई।

आज्ञा से



रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

कमांक:-स्था.बी.2(4)/08/2017/ 9825

दिनांक 29.11.2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक को उनके पत्रांक 14513 दिनांक 06.11.2024 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती अनिशा शर्मा (RJ01143), अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कम-02, बहरोड़ (अलवर)।
4. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, देवली (टोंक)।
5. अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, देवली (टोंक)।


सहायक रजिस्ट्रार